

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 19 /2021

उनवान
जलदीप कुमार पथिक पुत्र छननूराम बैरवा निवासी शाहपुरा

- प्रार्थी

- बनाम
- 1- मु. आरामी पत्नी गुलाब सिंह मीणा निवासी जालमपुरा तहसील जहाजपुर
 - 2- जयसिंह पुत्र नाहर मीणा निवासी जालमपुरा तहसील जहाजपुर
 - 3- मु. प्रेमदेवी पत्नी रामधन मीणा निवासी आमली बारेट तहसील फूलियाकलां
 - 4- मु. रामकन्या पत्नी शंकरलाल भील निवासी शिवपुरा
 - 5- रामस्वरूप पुत्र हजारी भील निवासी शिवपुरा
 - 6- गजेन्द्र पुत्र निहालचन्द जीनगर निवासी नई आबादी शाहपुरा
 - 7- नाथूलाल (कबाड़ी) पुत्र गंगाराम कोली निवासी बैगू चौराहा के समाने शाहपुरा
 - 8.मुकेश पुत्र भागचन्द जीनगर निवासी चमना बांवडी सामने गली मे शाहपुरा
 - 9.राजेश कुमार पुत्र सुखदेव खटीक निवासी गांधीपुरी आदर्श विधा मंदिर के पास शाहपुरा
 - 10.पुष्पेन्द्र पुत्र रामप्रताप कोली निवासी कोली मोहल्ला छतरी के पास शाहपुरा
 - 11.मु. चन्दादेवी पत्नी लक्ष्मण बैरवा निवासी शारत्रीनगर भीलवाड़ा

उपस्थिति :- श्री त्रिलोक चन्द नौलखा
अधिवक्ता प्रार्थी

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-: निर्णय :-

दिनांक- 06/06/2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम शिवपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 449 रकबा 0.48 है0 कुल किता 1 रकबा 0.48 हैक्टियर के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगद्दी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 3 से 5, 7 लगायत 11 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 2, 6 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम शिवपुरा संवत् 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी के खातेदार में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगद्दी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शिवपुरा में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदार की आराजीयात् किता 1 रकबा 0.48 हैक्टियर की पुख्ता पत्थरगद्दी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगद्दी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगद्दी हेतु कमिश्नर फीस 500 रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगद्दी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/06/2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिनिधि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी